वाष्पयंत्र संचालनालय की गतिविधियॉ एवं कार्य विवरण

वाष्पयंत्र संचालनालय ,मध्यप्रदेश वाणिज्य उधोग एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है। वाष्पयंत्र संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में निर्माणाधीन बायलरों का निरीक्षण.पंजीयन एवं प्रयोग में आ रहे बायलरों का निरीक्षण कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना है। इसके साथ ही बायलर जनित दुर्घटनाओं का बचाव. सुरक्षा को स्थापित करना एवं जान माल का बचाव करना है।

वाष्पयंत्र संचालनालय ,**बायलर अधिनियम–1923**, एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये अन्य नियम, यथा **भारतीय बायलर विनियम 1950, मध्यप्रदेश बायलर नियम 1969, बायलर परिचर नियम, 2011**, **बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम 2011** एवं मध्यप्रदेश **मितोपयोजक नियम 1959** के अनुसार कार्य करता है।

बायलर अधिनियम ,1923 के अन्तर्गत आने वाले बायलर की परिभाषा :-

बायलर'' से कोई भी ऐसा बन्द पात्र अभिप्रेत है जिसकी आयतन क्षमता 25 लीटर एवं दाब 1 kg/cm^2 से अधिक का है, जिसे दबावाधीन वाष्प उत्पादन करने के लिए विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है । इसके अन्तर्गत ऐसे पात्र या उसका कोई भाग या उसके साथ लगी हुई अन्य फिटिंग है, जो वाष्प बन्द कर दिये जाने पर पूर्णतः या अंशतः दबावाधीन रहती है।

उक्त बायलरों का धारा 7 के अंतर्गत पंजीयन एवं धारा 8 के अंतर्गत वार्षिक निरीक्षण आवश्यक है। निरीक्षण हेतु मुख्य कार्यालय इन्दौर में स्थित है एवं क्षैत्रीय, कार्यालय भोपाल एवं जबलपुर में कार्यरत है जिनका कार्यक्षेत्र ,दूरभाष क्रमांक एवं डाक पता परिशिष्ट–**क** में दिया गया है ।

लद्युउद्योग वाष्पयंत्र :–भारतीय बायलर विनियम के अध्याय 14 के अन्तर्गत लद्युउद्योग वाष्पयत्र से तात्पर्य निम्नानुसार है –

(अ) ऐसे शैल (Shell) टाइप बायलर जो 7 किलो ग्राम प्रति वर्ग सेंटी मीटर के दाब पर स्वयं के अतिरिक्त बाह्य उपयोग के लिये वाष्प उत्पादित करते है तथा जिनकी आयतन क्षमता , समस्त प्रेशर पार्टस को मिलाकर जो एक ही गरम करने के साधन से गरम हो रहे हो एवं बायलर से जुडे हो, 25 लीटर से अधिक किन्तु 500 लीटर से अधिक न हो ।"

(ब) ऐसे क्वाइल टाइप बायलर या Once through बायलर या वाटर टयूब बायलर जो उपरोक्त (अ) की शर्तो के अधीन हो किन्तु :–

1.दाब की सीमा 12 किलो ग्राम प्रतिवर्ग सेंटीमीटर हो एवं
2.आयतन क्षमता 150 लीटर से अधिक न हो

ऐसे बायलर जो उपरोक्त दोनों प्रकार के बायलरों के सम्मिलित रूप हो, का वर्किंग प्रेशर 7 कि0ग्रा0 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक सीमित होगा एवं आयतन क्षमता उपरोक्त के अनुसार 500 लीटर से अधिक नही होगी ।

(स) उपरोक्त बायलरों का पंजीयन एवं वार्षिक निरीक्षण शुल्क 500 रूपये देय होगा।

(द) इस प्रकार के बायलरों का परिचालक 10 वी पास या समकक्ष होगा।

निरंतर 2

स्टीम पाईप लाईन की परिभाषा :–

स्टीम पाईप लाईन से कोई ऐसी पाईप लाईन अभिप्रेत है जिससे वाष्प, बायलर से मूलगति उत्पादक में या अन्य उपयोग पात्र में या दोनों में जाती है, यदि –

(1) वह दबाव जिस पर ऐसी पाईप लाईन से निकलने वाली वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव से प्रतिवर्ग सेंटीमीटर 3.5 किलो ग्राम से अधिक है, या

(2) ऐसी पाईप लाईन जिसका आन्तरिक व्यास 254 मिलीमीटर से अधिक है ,दोनों ही दशा में स्टीम पाईप लाईन से सम्बन्धित फिटिंग्स भी उसके अंतर्गत है ।

पूर्ण ले–आउट ,पाईप लाईन की साइज, लम्बाई , वेल्डिंग का पूर्ण विवरण ,प्रयुक्त पाइप , बेन्ड ,वाल्व, फलेंज इत्यादि सामग्री का विवरण ,सपोर्ट, ड्रेनेज ,कार्य दबाव जलभार इत्यादि एवं ले–आउट का परीक्षण एव जलभार शुल्क के चालान के साथ श्शुल्क जो पाईप लाईन का साइज यदि 104 मि.मी. तक हो, प्रति 30 मीटर या इसके भाग पर रूपये 300 है और यदि साइज 104 मि.मी. से अधिक है तो प्रति 30 मीटर पर या इसके भाग पर रूपये 600 है। स्टीम एवं फीड पाइप लाईन का इरेक्शन एवं वेल्डिंग हेतु संस्था का अनुमोदन संचालक वाष्पयंत्र द्वारा होना आवश्यक है। वेल्डर का फार्म XIII प्रमाण पत्र धारी होना चाहिये। चालान आगे वर्णित आयमद में ही जमा होना चाहिए ।

बायलरों का इरेक्शन एवं वेल्डिंग :–

नवीन बायलरों का पंजीयन हेतु यदि साईट पर वेल्डिंग होना है तो वेल्डर फार्म XIII प्रमाणपत्र धारी होना चाहिये एवं वेल्डिंग से पूर्व संचालक वाष्पयंत्र द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। ऐसे बायलरों का पंजीयन शुल्क परिशिष्ट–**ग** में दर्शाये पंजीयन शुल्क का चार गुना देय होगा ।

बायलर का पंजीयन :–

जब भी नया बायलर ईकाई द्वारा प्रदेश में लगाया जाता है,उसका भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अन्तर्गत पंजीयन आवश्यक है । पंजीयन हेतु निम्न प्रपत्र संचालक वाष्पयंत्र / क्षेत्रीय बायलर निरीक्षक को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है ।

1- वाष्पय़ंत्र के निर्माण के दौरान तैयार किये गये फार्म II, III एवं IV (आईबी आर के रेग्युलेशन (C) के अन्तर्गत) वाष्पयंत्र में लगने वाली माउटिंग्स तथा फिटिंग्स के प्रमाण–पत्र तथा वाष्पयंत्र का अनुमोदित रेखाचित्र।

2- वाष्पय़ंत्र के मालिक होने का घोषणा पत्र परिशिष्ट–**ख देखें** ।

3- वाष्पय़ंत्र का पंजीयन शुल्क. चालान मध्यप्रदेश राज्य में स्थित कोषालय एवं उससे सम्बधिंत बैंक में चालान के द्वारा निम्न आय मद में जमा किया जाना है परिशिष्ट–**ग देखें।**

आयमद– म0प्र0 राज्य

0230 श्रम तथा रोजगार

103 भाप बायलरों के लिये निरीक्षण शुल्क (राज्य)

4- वाष्पय़ंत्र परिचारक के प्रमाण–पत्र की प्रति ।

5- वाष्पय़ंत्र के संलग्न स्टीम एवं फीड पाईप लाईन का तीन प्रतियो में मालिक के हस्ताक्षर युक्त मानचित्र ।

6- यदि मालिक वाष्पय़ंत्र को केवल 3.5 कि.ग्राम /वर्ग से.मी. पर चलाना चाहता है तो इस आशय का घोषणा पत्र ।

निरंतर 3

7- वाष्पयंत्र के स्टीम एवं फीड पाईप लाईन के निर्माण करने वाली भारतीय बायलर विनियम 1950 की धारा 392 के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत व अनुमोदित इकाई के नाम का प्रस्ताव ।

8- स्टीम पाईप लाईन में सामग्री के आई बी आर प्रमाण–पत्र ।

उक्त प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त पंजीयन हेतु बायलर का प्रथम निरीक्षण आवेदन दिनांक से **पन्द्रह दिवस** के अन्दर वाष्पयंत्र निरीक्षक द्वारा किया जावेगा एवं वाष्प यंत्र निरीक्षक,निरीक्षण की तिथि पूर्व सूचित करेगा एवं निरीक्षण के दिन सम्पूर्ण निरीक्षण, तद्उपरान्त जलभार परीक्षण कर पंजीयन की कार्यवाही करेगा। नवीन पंजीकृत बायलर के सेफ्टीवाल्व का निर्धारित दबाव एवं उसकी क्षमता हेतु निरीक्षण के छः माह के अन्दर भाप परीक्षण होना आवश्यक है ।

<u>बायलरों का निरीक्षण</u> :–

उपरोक्त पंजीकृत बायलरों का भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अन्तर्गत वार्षिक निरीक्षण आवश्यक है ।

वार्षिक निरीक्षण हेतु कृपया निम्न जानकारी के साथ आवेदन करें –

1. निरीक्षण के शुल्क का चालान :– निरीक्षण शुल्क मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 के अन्तर्गत अपेक्षित है जिसका विवरण **परिशिष्ट–घ** में दर्शाया गया है।
2. फार्म–**अ** जिसमें संस्था किस दिनांक को निरीक्षण चाहती है, सूचित करें जिससे उनकी सुविधा को ध्यान में रखा जा सकें। फार्म–**अ** का प्रारूप परिशिष्ट–च में दर्शाया गया है।

   संस्था को निरीक्षण में किसी प्रकार से देर न हो, इसलिये सलाह दी जाती है, कि संस्था प्रमाण पत्र की समाप्ति के तीस दिवस पूर्व अपेक्षित निरीक्षण दिनांक की सूचना देते हुए आवेदन करें जिससे बायलर निरीक्षण हेतु अनावश्यक रूप से बंद न रखना पडे । निरीक्षक द्वारा आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त पन्द्रह दिवस के अन्दर नोटिस देते हुए निरीक्षण सम्पादित करेगा । इस संदर्भ में सलाह दी जाती है कि निरीक्षण के पूर्व बायलर को पिछले प्रमाण–पत्र के पृष्ठ भाग पर दर्शाये अनुसार तैयार करेगा। नियमानुसार बायलर निरीक्षण हेतु तैयार न होने की स्थिति में बायलर अधिनियम 1923 की धारा 14 (2) के अनुसार निरीक्षण अमान्य कर दिया जायेगा एवं पुनः निरीक्षण दुबारा शुल्क जमा करने पर ही किया जा सकेगा ।

3 यदि किसी बायलर का मालिक ऐसे समय निरीक्षण कराना चाहता हो जिसके कारण निरीक्षक को विशेष यात्रा करनी पडे,तो उसे पंजीयन या निरीक्षण फीस के अतिरिक्त ऐसा और खर्च,जैसा की संचालक वाष्पयंत्र द्वारा निश्चित किया जाये, जो मुख्यालय से निरीक्षक तथा उसके साथ जाने वाले किसी कर्मचारी के यात्रा तथा वाहन खर्च की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, देना होगा । उपरोक्त शुल्क उपर दर्शाये आय मद में जमा करना होगा।

4 रविवार या अन्य अवकाश दिवस (निगोशिएबल इन्सटूमेन्टएक्ट के तहत घोषित) में मालिक द्वारा बायलर का निरीक्षण चाहने पर दोगुना शुल्क देय होगा ।

<u>बायलर परिचर नियम 2011 :–</u>

नियम 2 के अन्तर्गत बायलर, जिनका ताप सतह क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर से अधिक न हो, द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र धारी बायलर परिचारक एंव 1000 वर्ग मीटर से अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र धारी बॉयलर परिचारक से सीधे प्रभार में होना आवश्यक है । बायलर परिचारक हेतु परीक्षा संचालक वाष्पयंत्र इन्दौर द्वारा आयोजित की जाती है ।

निरंतर 4

बॉयलर प्रचालन इंजीनियर नियम 2011

नियम 3 के अन्तर्गत बायलर/बायलरों का कुल तापन क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक हो, बॉयलर चालन इंजीनियर प्रमाण–पत्र धारी व्यक्ति के प्रभार में होना आवश्यक है। बायलर चालन इंजीनियर हेतु परीक्षा संचालक वाष्पयंत्र इन्दौर, द्वारा आयोजित की जाती हैं।

मध्यप्रदेश मितोपयोजक नियम,1959

उक्त नियमों के अन्तर्गत इकोनोमाईजर का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए जारी किया जाता है । पंजीयन एवं निरीक्षण शुल्क परिशिष्ट–**छ** एवं परिशिष्ट–**ज**' में दर्शाया गया है ।

अन्य आवश्यक जानकारियॉ :–

पंजीकृत बॉयलरों का अन्य प्रदेश से मध्यप्रदेश में स्थानान्तर :–

उपरोक्त स्थिति में संचालक वाष्पयंत्र इन्दौर को स्थानान्तर की सूचना, बॉयलर क्रय के प्रमाण शपथ–पत्र सहित, निरीक्षण शुल्क का चालान, आवेदन प्रारूप–**अ** में एवं फार्म– 2 डी में घोषणा पत्र के साथ आवेदन करें।
पाईप लाईन के मानचित्र एवं बायलर अटेन्डेंट का प्रमाण पत्र भी सलग्न करे ।

बायलर में दुर्घटना :–

वाष्पयंत्र की दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना की जानकारी भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 18 के अंतर्गत 24 घंटे के अन्दर संबंधित वाष्पयंत्र निरीक्षक को देवें।

बायलरों की उम्र एवं विशेष परीक्षणः–

विनियम 391 ए के अनुरूप श्शैलटाइप बायलरों का उपयोग 25 वर्ष या 50 वर्षीय परीक्षण के उपरान्त 10 वर्ष हो चुका है तो उनका कार्य दबाव कम किया जावेगा एवं वाटर ट्यूब बायलरों के लिए विशेष परीक्षण किये जावेगें ।

बायलरों एवं स्टीम पाईप लाईन में दुरूस्ती :–

बायलर एवं स्टीम पाईप लाईन में कोई फेर बदल या दुरूस्ती भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 12 एवं 13 के अंतर्गत संचालक वाष्पयंत्र इन्दौर के अनुमोदन के उपरान्त ही करें एवं रेग्यूलेशन 392 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था से करायें एवं दुरूस्ती के दौरान प्रमाणित सामग्री का ही उपयोग करें । दुरूस्ति कार्य अनुमोदित संस्था द्वारा संचालक वाष्पयंत्र के अनुमोदन होने के पश्चात् ही करावे । अनुमोदित संस्थाओं के नाम परिशिष्ट–झ में दर्शाये गये है ।

निरंतर 5

<u>बायलरों का उपयोग निषेध</u> :–

भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 6 एवं 8 के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में बायलर का उपयोग न करें –

(1) जब तक उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत न किया गया हो।

(2) जिसका एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतरण किया गया है एवं उक्त अंतरण रिपोर्ट नियमानुसार नहीं दी गई है।

(3) जिसका उपयोग प्राधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र या अनन्तिम आदेश (प्रोविजनल आर्डर) उस समय प्रभावशील न हो।

(4) ऐसे दबाव पर जो उक्त प्रमाण–पत्र या अनन्तिम आदेश में अभिलिखित अधिकतम दबाव से अधिक हो।

(5) जब तक बायलर क्षमता के अनुरूप प्रमाणपत्र धारी व्यक्ति के सीधे प्रभार में न हो।

(6) उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए प्रमाण–पत्र या अनन्तिम आदेश दिया गया था।

(7) जब बायलर दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है।

(8) जब बायलर जिसका तापन सतह 18.58 वर्ग मीटर से ज्यादा हो , अपने स्थान से हटाया जाता है।

(9) जब बायलर में या उस पर कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीनीकरण किया जाता है।

(10) जिस बायलर का उपयोग इस आधार पर निषिद्व किया जाता है कि वह या उससे सलग्न कोई स्टीम पाईप लाईन खतरनाक स्थिति में है या किसी स्टीम पाईप लाईन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन,परिवर्धन या नवीनीकरण किया जाना है।

<u>संचालक वाष्पयंत्र को अपील</u> (बायलर्स एक्ट 1923 की धारा–19) कोई व्यक्ति जो–

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी निरीक्षक द्वारा किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी आदेश, से या

(ख) किसी निरीक्षक के किसी ऐसे आदेश से या ऐसे प्रमाण–पत्र जारी से जिसे इस अधिनियम द्वारा या जारी करने की अपेक्षा की जाए, इंकार करने से, अपने को व्यथित समझता है, तो वह उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा आदेश या इंकार उसे संसूचित किया गया है, संचालक वाष्पयंत्र को ऐसे आदेश या इंकार के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

निरंतर 6

परिशिष्ट – क

नाम	कार्यालय का पता	निवास का पता व दूरभाष कमांक	कार्यक्षैत्र

मुख्यालय इन्दौरः–

नाम	कार्यालय का पता	निवास का पता व दूरभाष कमांक	कार्यक्षैत्र
1. श्री पी0डीदीक्षित, संचालक वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश,इन्दौर	60,बक्षी बाग, इन्दौर फोन– 0731–2455388 फेक्स 0731 2455389	199 अनूप नगर इन्दौर 0731–2904895	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल :

नाम	कार्यालय का पता	निवास का पता व दूरभाष कमांक	कार्यक्षैत्र
1. श्री जी0पी0पटेल, निरीक्षक वाष्पयंत्र, प्रथम श्रेणी भोपाल	III,137–बी सेक्टर बी0एच0ई0एल,टाउनशिप पिपलानी,, भोपाल फोन–0755–2757384	क्वाटर नं.1/बी–2/डी/ए बरखेडा बी.एच.ई.एल भोपाल(म0प्र0) फोन–0755–2488930	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल व जबलपुर से संबंधी क्षेत्र।
2. श्री पुलकित तिवारी, निरीक्षक वाष्पयंत्र,	III,137–बी सेक्टर बी0एच0ई0एल,टाउनशिप भोपाल फोन–0755–2757384	एफ–1/38,ग्यारह सौ क्वाटर्स, भोपाल फोन–0755–2423198	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से संबंधी क्षेत्र ।

क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर :–

नाम	कार्यालय का पता	निवास का पता व दूरभाष कमांक	कार्यक्षैत्र
1. श्री जी0पी0पटेल, निरीक्षक वाष्पयंत्र, प्रथम श्रेणी जबलपुर	MIG–11–A हाथीताल कालोनी, जबलपुर फोन–0761–2427352	क्वाटर नं.1/बी–2/डी/ए बरखेडा बी.एच.ई.एल भोपाल(म0प्र0) फोन–0755–2488930	क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर से संबधी क्षेत्र।

निरंतर 7

परिशिष्ट– ख

फार्म 2– डी

घोषणा–पत्र

दिनांक :......................

मै...पिता..

पद...आयु............ बायलर्स एक्ट,1923 की धारा 2 (डी) के अन्तर्गत बायलर क्रमांक का मालिक / एजेन्ट होना स्वीकृत करता हूँ तथा मैं इंडियन बायलर्स एक्ट 1923, इंडियन बायलर्स रेग्यूलेशन 1950 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में दिये हुए प्रावधानों का पालन करूँगा एवं यदि उनका उल्लघंन होता है तो मैं उसके लिये पूर्ण जवाबदार रहूँगा । यदि उपरोक्त बायलर के मालिक एजेन्ट मे कोई परिवर्तन हुआ तो उसकी सूचना की जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

हस्ताक्षर...........................

पूर्ण नाम..........................

पद....................................

पता..................................

नोट :–एजेन्ट होने की स्थिति में मालिक के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

परिशिष्ट –ग

<u>पंजीयन शुल्क</u> :–

1. **रेग्यूलेशन – 385 – पंजीयन शुल्क** :– पंजीयन के लिये आवेदन के साथ दिया जाने वाला शुल्क धारा 7 के उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित मान से देय होगा –

ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 10 से अधिक न हो।	720.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 10 से अधिक किन्तु 30 अधिक न हो	960.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 30 से अधिक हो किन्तु 50 से अधिक न हो	1080.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 50 से अधिक हो किन्तु 70 से अधिक न हो	1320.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 70 से अधिक हो किन्तु 90 से अधिक न हो	1560.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 90 से अधिक हो किन्तु 110 से अधिक न हो	1800.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 110 से अधिक हो किन्तु 200 से अधिक न हो	2040.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 200 से अधिक हो किन्तु 400 से अधिक न हो	2280.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 400 से अधिक हो किन्तु 600 से अधिक न हो	2640.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 600 से अधिक हो किन्तु 800 से अधिक न हो	2880.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 800 से अधिक हो किन्तु 1000से अधिक न हो	3240.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 1000से अधिक हो किन्तु 1200से अधिक न हो	3840.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 1200से अधिक हो किन्तु 1400से अधिक न हो	4320.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 1400से अधिक हो किन्तु 1600से अधिक न हो	5040.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 1600से अधिक हो किन्तु 1800से अधिक न हो	5400.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 1800से अधिक हो किन्तु 2000से अधिक न हो	6000.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 2000से अधिक हो किन्तु 2200से अधिक न हो	6480.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 2200से अधिक हो किन्तु 2400से अधिक न हो	7200.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 2400से अधिक हो किन्तु 2600से अधिक न हो	7560.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 2600से अधिक हो किन्तु 2800से अधिक न हो	8160.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 2800से अधिक हो किन्तु 3000से अधिक न हो	8640.00

3000 से उपर प्रत्येक 200 या उसके भाग के लिए रूपयें 240.00 अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी ।

2. **रेग्यूलेशन – 395–ए** :– भारत में निर्माणाधीन बायलर या उसके भाग के लिये निरीक्षण शुल्क :–

बायलरों के निरीक्षण शुल्क की गणना निम्न प्रकार से की जानी चाहिये –

1. रिवेट के द्वारा बने हुए बायलरों के लिये पंजीयन शुल्क का चार गुना ।
2. वेल्डिंग के द्वारा बने हुए बायलरों के लिये पंजीयन शुल्क का चार गुना ।

निरंतर 9

परिशिष्ट– घ

6. **निरीक्षण के लिए आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस** – धारा की उपधारा 8 (4) के अधीन प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण हेतु निरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित मान से फीस दी जावेगी ।

ऐसे बायलर के लिए जिनका कममान 70 से अधिक न हो ।	1000.00
ऐसे बायलर के लिए जिनका कममान 70 से अधिक किन्तु 200 से अधिक न हो	2000.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 200 से अधिक किन्तु 800 से अधिक न हो	3500.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 800 से अधिक किन्तु 1600से अधिक न हो	7000.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 1600से अधिक किन्तु 2400से अधिक न हो	8000.00
ऐसे बायलर के लिए जिसका कममान 2400से अधिक किन्तु 3000से अधिक न हो	15000.00

3000 के उपर प्रत्येक 200 या उसके भाग के लिए रूपयें 200/–अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी ।

निरंतर 10

परिशिष्ट – च

फार्म अ

{ नियम 19 (5) (ख) देखियें }

बायलरों और स्टीम पाइपों के निरीक्षण के लिये भारतीय बायलर अधिनियम, 1923

(क्र.5 सन् 1923) के अधीन आवेदन – पत्र)

भाग – एक

बायलर का क्रमांक	पंजीयन मालिक या एजेन्ट का नाम	कहॉ स्थित है	अपेक्षित निरीक्षण दिनांक	बायलर का विवरण और उसका कितने वर्ष से उपयोग किया जा रहा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मैं, इसके द्वारा बायलर निरीक्षक को उपर बतायें गये बायलर के निरीक्षण के लिये तथा उसके प्रमाण–पत्र के लिये एक आवेदन –पत्र खजाना रसीद की मूल प्रति सहित जो नीचे दी गई निर्धारित फीस दिये जाने पर प्राप्त की गई है, प्रस्तुत करता हूॅ ।

स्थान.........................

आज दिनांक................... माह...........2012

मालिक या एजेन्ट के हस्ताक्षर

निरंतर 11

प रि शि ष्ट–छ

रेग्यूलेशन –533 –मितोपोजक का पंजीयन शुल्क :–पंजीयन के लिये आवेदन के साथ दिया जाने वाला शुल्क धारा 7 के उपधारा (1)के अधीन निम्नलिखित मान से देय होगा :–

ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 50 से अधिक न हो	250.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 50 से अधिक किन्तु 100 से अधिक न हो	300.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 100 से अधिक किन्तु 150 से अधिक न हो	350.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 150 से अधिक किन्तु 200 से अधिक न हो	400.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 200 से अधिक किन्तु 250 से अधिक न हो	450.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 250 से अधिक किन्तु 300 से अधिक न हो	475.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 300 से अधिक किन्तु 350 से अधिक न हो	500.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 350 से अधिक किन्तु 400 से अधिक न हो	550.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 400 से अधिक किन्तु 450 से अधिक न हो	600.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 450 से अधिक किन्तु 500 से अधिक न हो	650.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 500 से अधिक किन्तु 600 से अधिक न हो	700.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 600 से अधिक किन्तु 700 से अधिक न हो	750.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 700 से अधिक किन्तु 800 से अधिक न हो	800.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 800 से अधिक किन्तु 900 से अधिक न हो	850.00
ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 900 से अधिक किन्तु 1000 से अधिक न हो	900.00

1000 से उपर प्रत्येक 200 या उसके भाग के लिए रूपयें 50 अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी ।

निरंतर 12

परिशिष्ट–ज

14. नवीनीकृत प्रमाण – पत्र जारी करने के लिए फीस :– नवीनीकृत **प्रमाण**–पत्र जारी करने के लिए देय फीस नीचे दर्शाये अनुसार मितोपयोजक (इकोनोमाइजर) के क्रममान के आधार पर संगणित की जायेगी ।

ऐसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 100 से अधिक न हो	800.00
ऐंसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 100 से अधिक किन्तु 200 से अधिक न हो	1200.00
ऐंसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 200 से अधिक किन्तु 400 से अधिक न हो	1500.00
ऐंसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 400 से अधिक किन्तु 800 से अधिक न हो	3000.00
ऐंसे मितोपयोजक के लिए जिसका क्रममान 800 से अधिक किन्तु 1000 से अधिक न हो	4000.00

1000 से उपर प्रत्येक 200 या उसके भाग के लिए रूपयें 100.00 अतिरिक्त फीस प्रभारित की जायेगी :

निरंतर 13

प रि शि ष्ट– झ

(पिछले तीन वर्षो से कार्यरत)

मध्यप्रदेश में बायलर निरीक्षकालय द्वारा मान्यता प्राप्त बायलर दुरूस्त करने वाली एवं स्टीम पाईल लाईन का निर्माण करने वाली इकाईयों की सूची ।

इकाई का नाम		दुरभाष क्रमांक वर्कशाप	आफिस
1 . मैंसर्स भुरू इंजीनियरिंग वर्क्स, हाजीलॉज के पास,इन्दौर	–	2466375 2473610	2450467
2 मैंसर्स प्रीमियर इंजीनियरिंग वर्क्स, 33/2,छोटी ग्वालटोली,पलसीकर कम्पाउंड, इन्दौर .	–	2463771 2465207	2471538 2760262 फेक्स–2472753
3 मैंसर्स तिवारी इंजिनियरिंग वर्क्स, 161 सेक्टर डी–2,औधोगिक क्षेत्र, सांवेर रोड,इन्दौर		2420776	2574579 2574580 2574581
4 मैंसर्स लायसेण्डर हिन्द इंजीनियसिंग कंम्पनी, एच–31,बाधिरा अपार्टमेंट,अरेरा कॉलोनी, भोपाल	–	2553310 फेक्स–2554772	2565670 2563594
5. मैसर्स प्रिफेक्ट इण्डस्ट्रीज , एम.आय.जी.–।।, इन्द्रपुरी सेक्टर –ए भोपाल (म0प्र0)	–	2587511	2588641
6 मेसर्स प्रिसिजन इंजिनियरिंग वर्क्स खेडा इटारसी	–	230355	
7. मेसर्स जबलपुर इंजीनियरिंग, 123 प्रेम नगर, जबलपुर (म0प्र0)			
8. मेसर्स फाईन फेब्रिकेटर्स क्वर्स 104ए/11 औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल (म0प्र0)			
9. मेसर्स प्रिस्टाईन प्रोजेक्ट, डब्ल्यू बी–115, स्कीम नं.54 रिंगरोड इंदोर (म0प्र0)			
10 मेसर्स जगन फेबिकेटर्स, एफ–90 रजत जयंति काम्पलेक्स स्कीम नं. 54 इंदौर (म0प्र0)			

11. मेसर्स रेडियंट थर्मल इंजीनियरिंग,
90 रूपराम नगर, माणिक बाग रोड इंदौर (म0प्र0)

टिप्पणी :

बायलर व स्टीम पाईप की दुरूस्ती की अनुमति कार्य के गुण एवं कुशलता के आधार पर तथा वेल्डर के योग्यता प्रमाण–पत्र वैध होने की दशा में बॉयलर मालिक द्वारा संचालक वाष्पयंत्र को आवेदन –पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जावेगी । संचालक वाष्पयंत्र,इन्दौर की बिना पूर्वानुमति के दुरूस्ती संबंधी कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा ।

* * * * *